



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268923
CG-DL-E-30122025-268923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 841]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 841]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 927(अ).—औषधि नियम, 1945 में और संशोधन करने वाले निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 की उप-धारा (1) तथा धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार समिति से परामर्श के पश्चात् बनाने का प्रस्ताव करती है, यह सूचना सभी संभावित प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है। यह भी सूचित किया जाता है कि राजपत्र की वह प्रतियाँ, जिनमें ये प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए हैं, जब जनसाधारण के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, उस तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर इन प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्त अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, तो इन्हें अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, यू-6, वर्क हॉल- सी विंग, प्रथम तल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली, 110001 को संबोधित किया जा सकता है अथवा ई-मेल के माध्यम से drugsdiv-mohfw@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. (i) इन नियमों को औषधि (..... संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. औषधि नियम, 1945 में, अनुसूची 'K' में, क्र.सं. 13 में, "औषधि की श्रेणी" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि संख्या 7 में, "Syrup," शब्द को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. एक्स.11014/11/2025-डीआर]

हर्ष मंगला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. F. 28-10/45-H(1), दिनांक 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. ----- (अ)., दिनांक द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

G.S.R. 927(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, U-6, Work Hall- C Wing, first floor, Kartavya Bhawan-1, New Delhi, 110001 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Drugs (..... Amendment) Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs Rules, 1945, in Schedule K, in the Serial No. 13, under the column "Class of Drugs", in the Entry No. 7, the word "Syrup," shall be omitted.

[F. No. X.11014/11/2025-DR]

HARSH MANGLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Official Gazette vide notification No. F. 28-10/45-H(1) dated 21st the December, 1945 and last amended vide notification number G.S.R.....(E), dated.....